

08/11/25

पत्रावली पेश हुई/वकील उभय पक्ष एवं गवाह श्री... अर्पित किया गया।  
अतः पत्रावली पूर्वदिशानुसार दि. 08/11/25 को पेश है।

05/11/25


पत्रावली पेश हुई/वकील उभय पक्ष एवं गवाह श्री... अर्पित किया गया।  
अतः पत्रावली पूर्वदिशानुसार दि. 05/11/25 को पेश है।

01.11.26

पत्रावली पेश हुई/वकील उभय पक्ष एवं गवाह श्री... अर्पित किया गया।  
अतः पत्रावली पूर्वदिशानुसार दि. 01/11/26 को पेश है।

10/2/2026

पत्रावली पेश हुई। वकील प्राथीगण उपस्थित।  
तहसीलदार डूंगला ने अपने पत्र क्रमांक/संख्या/ 2026/86 दिनांक 5/2/2026 के द्वारा प्राथीना पत्र भन्तर्गत धारा 136 में बणित रकबों के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रेषित की गई जिसको शामिल पत्रावली किया गया। वकील प्राथीगण को सुना गया।  
वकील प्राथीगण तहसीलदार डूंगला से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार नक्शा में सुद्धि करने हेतु सख्त है।  
पत्रावली वास्ते उचित आदेश निम्न में दिनांक 17-2-2026 को पेश है।



उपस्थित अधिकारी  
डूंगला

17/2/26

पत्रावली पेश हुई। वकील प्राथीगण उपस्थित।  
वकील प्राथीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये प्राथीना पत्र का संक्षिप्त निवरण इस प्रकार है:-  
प्राथीगण मन्दासक (सरपंच) ग्राम पंचायत मणोली वागरियान, व ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत भायेली वागरियान की ओर से श्री दिलीप कुमार खंवीक वकील द्वारा सिपही भूमिधारी तहसीलदार डूंगला के निरुद्ध प्राथीना पत्र भन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम के तहत आराजी नं. 164/1 रकबा 1.08 हेक्टर (भाबदी) की तस्मीम नक्शा में काम कर दिया गया नकल जमाबंदी में दर्शाये गये रकबे के अनुसार मौजे पर तस्मीम का क्षेत्रफल कम है जिसको आबादी आराजी नं. 164/1 रकबा 1.08 हेक्टर के अनुसार मौजे पर इसी रकबे के अनुसार मौजे पर क्षेत्रफल के अनुसार सुद्धि कराई जाना आवश्यक है। प्रस्तुत प्राथीना पत्र को बट जांच दर्ज रजिस्टर कर सिपहीगण भूमिधारी तहसीलदार डूंगला से उत्पन्न प्राप्त किया गया। तहसीलदार डूंगला ने अपने पत्र क्रमांक/संख्या/ 2026/86 दिनांक 5-2-2026 के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि राजस्व रिकार्ड के अनुसार आराजी नम्बर 164/1 रकबा 1.08 हेक्टर किरम भाबदी दर्ज रिकार्ड होकर राजस्व नक्शा में 0.90 हेक्टर भूमि की ही तस्मीम के रखी है बर्ष 1957 नक्शा में पृथी 3 मिया रकबा ही बनता है जबकि उक्त आराजी का रकबा 5 बीघा है। उक्त आराजी के दक्षिण दिशा की ओर आराजी नम्बर 164/13 एवं 164/12 रा. उ. मा. वि. भायेली वागरियान के खैल मैदान की खतियारी भूमि दर्ज क्षेत्र मौजे पर निवार बनी हुई है। मौजे पर आराजी नम्बर 164/1 के रकबे की कमी वैधो छोड़े हुए उक्त आराजी के उत्तर दिशा की ओर छोड़े हुए ही दिवार मौजे पर बनी हुई है, आराजी नम्बर 164/13 एवं आराजी नम्बर 164/12 के दक्षिण की ओर मूल आराजी नम्बर 164/1 की शेष भूमि वर्तमान आराजी नम्बर 164/14 किरम थरगाट रकबा 1.56 ही दर्ज है। मौजे पर आराजी नम्बर 164/13 एवं 164/12 के दक्षिण की तरफ तस्मीम होकर मौजे पर दिवार का निर्माण हो रखा है जिसको संलग्न नजरो नक्शा में दर्शाया गया है। प्राप्त रिपोर्ट के सम्बन्ध में वकील प्राथीगण को सुना गया।



उपस्थित अधिकारी  
डूंगला

FORM No. III  
फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अधिकार विभाग, जयपुर, राजस्थान

दालत डूंगला मुकाम डूंगला  
आराजी नं. 164/1 रकबा 1.08 हेक्टर  
मुकदमा प्राथीना पत्र 106/1/2026 नं. 22/25 सन् 2025

हुसैनिया/कार्यवाही मय इतिथिल्या जज	नम्बर वातावरण अहकाम जो हुसैनिया की तस्मीम जारी हुए
164/1 रकबा 1.08 हेक्टर (भाबदी) की तस्मीम नक्शा में काम कर दिया गया नकल जमाबंदी में दर्शाये गये रकबे के अनुसार मौजे पर तस्मीम का क्षेत्रफल कम है जिसको आबादी आराजी नं. 164/1 रकबा 1.08 हेक्टर के अनुसार मौजे पर इसी रकबे के अनुसार मौजे पर क्षेत्रफल के अनुसार सुद्धि कराई जाना आवश्यक है। प्रस्तुत प्राथीना पत्र को बट जांच दर्ज रजिस्टर कर सिपहीगण भूमिधारी तहसीलदार डूंगला से उत्पन्न प्राप्त किया गया। तहसीलदार डूंगला ने अपने पत्र क्रमांक/संख्या/ 2026/86 दिनांक 5-2-2026 के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि राजस्व रिकार्ड के अनुसार आराजी नम्बर 164/1 रकबा 1.08 हेक्टर किरम भाबदी दर्ज रिकार्ड होकर राजस्व नक्शा में 0.90 हेक्टर भूमि की ही तस्मीम के रखी है बर्ष 1957 नक्शा में पृथी 3 मिया रकबा ही बनता है जबकि उक्त आराजी का रकबा 5 बीघा है। उक्त आराजी के दक्षिण दिशा की ओर आराजी नम्बर 164/13 एवं 164/12 रा. उ. मा. वि. भायेली वागरियान के खैल मैदान की खतियारी भूमि दर्ज क्षेत्र मौजे पर निवार बनी हुई है। मौजे पर आराजी नम्बर 164/1 के रकबे की कमी वैधो छोड़े हुए उक्त आराजी के उत्तर दिशा की ओर छोड़े हुए ही दिवार मौजे पर बनी हुई है, आराजी नम्बर 164/13 एवं आराजी नम्बर 164/12 के दक्षिण की ओर मूल आराजी नम्बर 164/1 की शेष भूमि वर्तमान आराजी नम्बर 164/14 किरम थरगाट रकबा 1.56 ही दर्ज है। मौजे पर आराजी नम्बर 164/13 एवं 164/12 के दक्षिण की तरफ तस्मीम होकर मौजे पर दिवार का निर्माण हो रखा है जिसको संलग्न नजरो नक्शा में दर्शाया गया है। प्राप्त रिपोर्ट के सम्बन्ध में वकील प्राथीगण को सुना गया।	

उपस्थित अधिकारी  
डूंगला



8

हुवमया कार्यवाही नया इतिथिल्ला जज

FORM No. III  
फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अहकाम फिर्दा नुमा... 2015

मुकाम

बनाम

मा

नं.

सन्

हुवमया कार्यवाही नया इतिथिल्ला जज

नम्बर च तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील में  
जारी हुए

वकील प्रार्थी प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शा में श्रुद्धे हेतु सख्त है। इसलिए तहसीलदार इंगला से प्राप्त उक्त रिपोर्ट का एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन कर परीक्षण किया गया। गहनता से अध्ययन कर परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त पाया गया कि प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार तथा प्रस्तावित नक्शा, नजरी नक्शा के अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शा में श्रुद्धे दरमीम किया गया है। इसलिए माध्यमिक का प्रार्थना पत्र मन्तव्य हेतु धारा 136 एच. धारा 137 का प्रावधान अनुसार पाया जाने से स्वीकार किया जाता है। तथा आदेश दिया जाता है कि मौजा मायेली बागायत की आवासीय आराजी नम्बर 1641 जमाबंदी में दर्ज रकबा 1.0800 बघातारख्या-1 में दर्ज रकबा के मुकाबले राजस्व नक्शा में 0.90 डेकटेयर भूमि जो हो रखी है जिसका राजस्व नक्शा में रकबा 4 बघात उविरख्या हो बनता है जबकि उपर आराजी का कुल रकबा 5 बघात है। इसलिए इस आराजी के रकबे के मुकाबले कमहोरखी दरमीम को वर्तमान जमाबंदी में दर्ज रकबा 5 बघात अर्थात् 1.08 डेकटेयर भूमि के क्षेत्रफल के अनुसार पूर्व में हो रखी श्रुद्धे दरमीम को नियमानुसार सिद्धोपिह किया जाकर वर्तमान राजस्व नक्शा में प्रस्तावित नक्शा जिसमें छाल रखाई से दक्षिण किया है के अनुसार श्रुद्धे दरमीम को जति, तथा इसी प्रकार से आराजी नम्बर 1641/4 क्रिस्म पराबाट जमाबंदी में दर्ज रकबा 1.56 डेकटेयर के अनुसार राजस्व नक्शा में दरमीम नये होकर वर्तमान राजस्व नक्शा में 1.76 डेकटेयर भूमि जो हो रखी श्रुद्धे दरमीम को भी वर्तमान राजस्व नक्शा में जमाबंदी में दर्ज रकबा 1.56 के क्षेत्रफल के अनुसार हो श्रुद्धे दरमीम किया जाने का आदेश दिया जाता है तथा वर्तमान नक्शा में हो रखी श्रुद्धे दरमीम को नियमानुसार सिद्धोपिह किया जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार इंगला को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व नक्शा में

श्रुद्धे दरमीम की नियमानुसार मायेली की जाने का आदेश दिया जाता है। निम्न खुले न्यायलय में सिखाया जाकर सुनाया गया। नियम की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तावित नक्शा तहसीलदार इंगला को पाठनार्थ एवं आवश्क मायेली हेतु तहसीर के सख्त भेजी जाते। पत्रावली फाइल सुमार होकर नम्बर से कम हो।



17/12/16  
उपखण्ड अधिकारी  
इंगला

उपखण्ड अधिकारी  
इंगला

